प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

एकल पीठ : माननीय न्यायमूर्ति श्री सतीश के. अग्निहोत्री

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 1623/2007

राम चंद्र साहू

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

आदेश

दिनांक 02.04.2007 को सूचीबद्ध करें।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/-

(सतीश के. अग्निहोत्री)

न्यायाधीश

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

एकल पीठ : माननीय न्यायमूर्ति श्री सतीश के. अग्निहोत्री

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 1623/2007

याचिकाकर्ता - राम चंद्र साहू, पिता जमुना प्रसाद साहू, आयु लगभग 33 वर्ष, निवासी ग्राम रनाई, थाना पटना, तहसील बैकुंठपुर, जिला कोरिया (छ.ग.)।

बनाम

उत्तरवादीगण - 1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा सचिव, गृह विभाग, डी के एस. भवन, रायपुर (छ.ग.)।

2. पुलिस महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय, रायपुर (छ.ग.)।

3. पुलिस महानिरीक्षक, सरगुजा रेंज, अंबिकापुर, जिला सरगुजा (छ.ग.)।

4. पुलिस अधीक्षक, बैकुंठपुर, जिला कोरिया (छ.ग.)।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

....

उपस्थित:

याचिकाकर्ता की ओर से श्री महेंद्र दुबे, अधिवक्ता ।

उत्तरवादी/राज्य की ओर से श्री अरविंद दुबे, पैनल अधिवक्ता।

....

आदेश

(दिनांक 2 अप्रैल, 2007 को पारित)

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत दायर इस याचिका के माध्यम से, याचिकाकर्ता दिनांक 25-4-2006 के पत्र के साथ-साथ दिनांक 4-4-2006 के पत्र (दोनों पत्रों को अनुलग्नक पी./1 के रूप में चिह्नित किया गया है) को चुनौती देता है, जिसके

तहत आरक्षक (जीडी) के पद पर याचिकाकर्ता के चयन को इस आधार पर रद्द कर दिया गया था कि उसने उचित चयन के बाद भरे गए सत्यापन प्रपत्र में अपने विरुद्ध लंबित एक दांडिक प्रकरण के तथ्य को जानबूझकर छिपाया था।

2. संक्षेप में निर्विवाद तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ता ने अन्य लोगों के साथ मिलकर, आरक्षक (जीडी) के पद पर नियुक्ति के लिए दिनांक 30-3-2005 के विज्ञापन (अनुलग्नक पी./2) के अनुसरण में आवेदन किया था। आवेदन पत्र (अनुलग्नक पी./3) के निर्धारित प्रोफार्मा के कॉलम 15 और 16 में निम्नलिखित जानकारी अपेक्षित थी:"

> 15. क्या आपको कभी गिरफ्तार किया गया है? यदि हाँ, तो विवरण दें:
>
> 16. क्या आप पर कभी किसी मामले में मुकदमा चलाया गया (अभियोजित किया गया) है? क्या आपको कभी किसी न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया गया है? यदि हाँ, तो पूर्ण विवरण दें:

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

"उपरोक्त कॉलमों में, याचिकाकर्ता ने क्रॉस (x) का चिह्न लगाया। दिनांक 20-6-2005 के चयन (अनुलग्नक पी./4) के अनुसार लिखित परीक्षा और शारीरिक परीक्षा में चयनित होने के बाद, याचिकाकर्ता के लिए सत्यापन प्रपत्र भरना अपेक्षित था। सत्यापन प्रपत्र (अनुलग्नक पी./5) में एक विशिष्ट कॉलम, अर्थात कॉलम 12 था, जो इस प्रकार है:"

> "(12) अ. क्या आपको कभी गिरफ्तार किया गया है? क्या आप पर कभी मुकदमा चलाया गया (अभियोजित किया गया) है? क्या आपको कभी समन (बुलावा) जारी किया गया है? क्या आपने कभी शास्ति (जुर्माना) का भुगतान किया है? क्या आपको कभी किसी न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया गया है? (या) क्या आपको कभी किसी परीक्षा में बैठने से वंचित किया गया है या विश्वविद्यालय/शिक्षण संस्थान से निष्कासित किया गया है?
>
> **ब.** क्या सत्यापन प्रपत्र भरते समय न्यायालय, विश्वविद्यालय या शिक्षण संस्थान में कोई मामला लंबित है? यदि (अ) या (ब) दोनों में से किसी भी स्थिति में आपका उत्तर 'हाँ' है, तो लंबित मामले, गिरफ्तारी, प्रतिबंध, दोषसिद्धि,

शास्ति (जुर्माना) आदि का पूरा विवरण दें और न्यायालय, विश्वविद्यालय या शिक्षण संस्थान में लंबित मामले का विवरण दें।"

उपरोक्त कॉलमों में, याचिकाकर्ता ने "नहीं" अंकित किया था। इसके पश्चात, याचिकाकर्ता के अनुसार, अपने शुभचिंतकों की सलाह पर, दिनांक 12-9-2005 के पत्र (अनुलग्नक पी./7) के माध्यम से उसने अपनी गलतियों को सुधारा और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बैकुंठपुर, जिला कोरिया के न्यायालय में भारतीय दंड संहिता की धारा 498-क के तहत लंबित दांडिक प्रकरण का पूर्ण विवरण प्रस्तुत किया। प्रत्यर्थियों (उत्तरदाताओं) ने आक्षेपित पत्रों दिनांक 25-4-2006 और 4-4-2006 (अनुलग्नक पी./1) के माध्यम से उसका चयन यह सूचित करते हुए रद्द कर दिया कि उसने सत्यापन प्रपत्र के कॉलम 12 में अपने विरुद्ध दर्ज दांडिक प्रकरण का विवरण नहीं दिया था, जो कि महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाने के समान है।"

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

3. आक्षेपित पत्रों से व्यथित और असंतुष्ट होकर, याचिकाकर्ता ने इस आधार पर यह याचिका दायर की है कि उसने सत्यापन प्रपत्र भरने के दौरान ही दिनांक 12-9-2005 (अनुलग्नक पी./7) के पत्र के माध्यम से दांडिक प्रकरण के लंबित होने के सही तथ्यों को तत्काल प्रस्तुत कर दिया था, अतः यह 'सत्य को छिपाने' और 'असत्य को प्रस्तुत करने' का मामला नहीं है।

4. याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री महेंद्र दुबे ने तर्क दिया कि चूँकि याचिकाकर्ता ने दिनांक 12-9-2005 के पत्र द्वारा अधिकारियों को दांडिक प्रकरण के लंबित होने के सही तथ्यों के बारे में तत्काल सूचित कर दिया था, इसलिए यह ऐसा कदाचार नहीं है जो याचिकाकर्ता को पुलिस बल में आरक्षक के रूप में चुने जाने के लिए अयोग्य ठहराए। दूसरे, भारतीय दंड संहिता की धारा 498-क के तहत अपराध को इस न्यायालय द्वारा एम.सी.आर.सी. क्रमांक 2043/2005 **(रामचंद्र साहू एवं अन्य बनाम छत्तीसगढ़ राज्य एवं एक अन्य)** में पारित आदेश दिनांक 7-10-2005 (अनुलग्नक पी./6) के माध्यम से शमन कर दिया गया है और पति-पत्नी शांतिपूर्वक

रह रहे हैं। विद्वान अधिवक्ता अपने तर्क के समर्थन में उच्चतम न्यायालय के एक निर्णय '**कमिश्नर ऑफ पुलिस, दिल्ली एवं एक अन्य बनाम धवल सिंह**'[1] का अवलंब लेते हैं।

5. इसके विपरीत, राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री अरविंद दुबे ने तर्क दिया कि यह तथ्यों के स्वैच्छिक प्रकटीकरण का मामला नहीं है। याचिकाकर्ता ने यह गलती न केवल एक बार सत्यापन प्रपत्र में की, बल्कि आवेदन पत्र में भी की थी। याचिकाकर्ता की मंशा इन तथ्यों से स्पष्ट है कि उसने निर्धारित प्रोफार्मा में आवेदन करते समय और अगली बार सत्यापन प्रपत्र में जानबूझकर तथ्यों को छिपाया था, जबकि उसमें स्पष्ट रूप से यह बताने की आवश्यकता थी कि कोई दांडिक प्रकरण लंबित है या नहीं।"

6. याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में आगे यह स्वीकार किया है कि उसने दिनांक 12-9-2005 के पत्र के माध्यम से अधिकारियों को सही तथ्यों की जानकारी अपने शुभचिंतकों की सलाह पर दी थी, न कि स्वयं स्वेच्छा से।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

7. दोनों पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने और अभिवचनों तथा उनके साथ संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन करने के बाद, यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता ने आवेदन पत्र सही ढंग से नहीं भरा और कॉलम 15 और 16 में क्रॉस का चिह्न लगाकर दांडिक प्रकरण के लंबित होने के तथ्य को छिपाया। इसके अतिरिक्त, चयन के बाद सत्यापन प्रपत्र में भी याचिकाकर्ता ने इस प्रश्न के उत्तर में कि 'क्या किसी न्यायालय में कोई दांडिक प्रकरण लंबित है या नहीं', स्पष्ट रूप से "नहीं" कहा था। याचिकाकर्ता ने बाद में अपने शुभचिंतकों की सलाह पर, सत्यापन प्रपत्र भरने की तिथि (24-6-2005) के लगभग तीन महीने बाद, 12-9-2005 को एक पत्र भेजकर आवेदन करने और सत्यापन प्रपत्र भरने के समय दांडिक प्रकरण के लंबित होने के तथ्यों को सही ढंग से प्रस्तुत किया। तथ्यों को छिपाने का परिणाम उसके चयन को रद्द करने के रूप में निकलेगा।

8. जहाँ तक याचिकाकर्ता द्वारा 'कमिश्नर ऑफ पुलिस, दिल्ली' (पूर्वोक्त) के मामले के अवलंब का प्रश्न है, उसमें शामिल तथ्य पूरी तरह से भिन्न थे। उस मामले में, दांडिक

---
1 1999) 1 SCC 246

प्रकरण के लंबित होने के संबंध में आवेदन पत्र में हुई चूक की सूचना तीन महीने की अवधि के भीतर स्वेच्छा से दी गई थी। वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ता ने दिनांक 12-9-2005 का पत्र स्वेच्छा से नहीं, बल्कि अपने मित्रों और शुभचिंतकों के कहने पर भेजा है। उसने न केवल सत्यापन प्रपत्र में, बल्कि आवेदन पत्र में भी दांडिक प्रकरण के लंबित होने का उल्लेख करने में चूक की है। यह 'सत्य को छिपाने' और 'असत्य को प्रस्तुत करने' का मामला प्रतीत होता है।

9. '**कलेक्टर ऑफ कस्टम्स, कलकत्ता बनाम टिन प्लेट कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड**[2] के मामले में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने सीमा शुल्क अधिनियम में तथ्यों को छिपाने के प्रश्न पर विचार करते हुए टिप्पणी की थी कि 'तथ्यों को छिपाने' में गलत लाभ प्राप्त करने के इरादे से किसी तथ्य को बताने में जानबूझकर या सचेत रूप से की गई चूक परिकल्पित है।

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

10. '**केंद्रीय विद्यालय संगठन एवं अन्य बनाम राम रतन यादव**'[3] के मामले में, उच्चतम न्यायालय ने मामले के समान तथ्यों में निम्नलिखित निर्णय दिया था:"

> "12. सत्यापन प्रपत्र के कॉलम 12 और 13 में जानकारी मांगने और उसके बाद उम्मीदवार द्वारा प्रमाणन का उद्देश्य, सेवा में बने रहने के लिए उसकी उपयुक्तता को परखने हेतु उसके चरित्र और पूर्ववृत्त का पता लगाना और उसका सत्यापन करना था। महत्वपूर्ण जानकारी छिपाने और/या गलत जानकारी देने वाला उम्मीदवार सेवा में बने रहने के अधिकार का दावा नहीं कर सकता। नियोजन की प्रकृति और अन्य सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए, नियोक्ता के पास उसकी सेवाओं को समाप्त करने का विवेकाधिकार था, जिसे नियुक्ति प्रस्ताव के कंडिका 9 में स्पष्ट रूप से साफ कर दिया गया है। कॉलम 12 और 13 के अनुसार जानकारी मांगने का उद्देश्य न तो अपराध की प्रकृति या गंभीरता का पता लगाना था और न ही अंततः किसी दांडिक प्रकरण के परिणाम को जानना था। उक्त कॉलमों में जानकारी इस दृष्टिकोण से मांगी गई थी कि उत्तरवादी के चरित्र और पूर्ववृत्त को

2 (1997) 10 SCC 538
3 (2003) 3 SCC 437

देखते हुए यह निर्णय लिया जा सके कि वह सेवा में बने रहने के योग्य है या नहीं। हमारे विचार में, उच्च न्यायालय मामले के इस पहलू को देखने में विफल रहा है। यह कहना गलत था कि दांडिक प्रकरण बाद में वापस ले लिया गया था और वे अपराध, जिनमें उत्तरवादी के शामिल होने का आरोप था, गंभीर प्रकृति के नहीं थे......"

11. '**सचिव, गृह विभाग, आंध्र प्रदेश एवं अन्य बनाम बी. चिन्नम नायडू**[4] के मामले में, 'केन्द्रीय विद्यालय संगठन' (पूर्वोक्त) के मामले का संदर्भ देते हुए, उच्चतम न्यायालय ने निम्नानुसार निर्णय दियाः

"जैसा कि केन्द्रीय विद्यालय संगठन के मामले में उल्लेख किया गया है, सत्यापन प्रपत्र के कॉलम 12 जैसे विभिन्न कॉलमों में जानकारी मांगने और उसके बाद उम्मीदवार द्वारा घोषणा करने का उद्देश्य, सेवा में प्रवेश करने या बने रहने के लिए उसकी उपयुक्तता का आकलन करने हेतु उसके चरित्र और पूर्ववृत्त का पता लगाना और उसका सत्यापन करना है। जब कोई उम्मीदवार महत्वपूर्ण जानकारी छिपाता है और/या गलत जानकारी देता है, तो वह नियुक्ति या सेवा में बने रहने के किसी भी अधिकार का दावा नहीं कर सकता। कानून की इस स्थिति पर कोई विवाद नहीं हो सकता।"

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

12. उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि के सुस्थापित सिद्धांतों को वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू करते हुए, यह ऐसा मामला नहीं है जहाँ याचिकाकर्ता ने बाद में दिनांक 12-9-2005 के पत्र द्वारा दांडिक प्रकरण के लंबित होने के तथ्य की जानकारी स्वेच्छा से प्रदान की हो। वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ता ने जानबूझकर तथ्यों को छिपाया है क्योंकि उसने आवेदन पत्र के साथ-साथ सत्यापन प्रपत्र में भी इस तथ्य का लोप (चूक) किया था। अतः, यह 'सत्य को छिपाने' और 'असत्य को प्रस्तुत करने' का मामला है। इस प्रकार याचिकाकर्ता नियुक्ति या सेवा में बने रहने का हकदार नहीं है।

4 (2005) 2 SCC 746

13. उपरोक्त कारणों से, आक्षेपित पत्र दिनांक 25-4-2006 और 4-4-2006 (अनुलग्नक पी./1) न्यायसंगत और उचित हैं तथा इनमें किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। तदनुसार, यह याचिका खारिज की जाती है। वाद व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं।"

सही/-

(सतीश के. अग्निहोत्री)

न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur